न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ (राज.)

सुखमहेन्द्र बनाम नवजोत सिंह आदि

प्रकरण का प्रकार 223 आरटीएक्ट क्रमांक 169 / 2018 (2018 / 00290)

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक
07.06.2022	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्तागण को प्रार्थना–पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी दिनांक 03.11.2022 पर सुना गया। विद्वान अधिवक्ता प्राथी / अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन कियाकि अपीलाण्ट सुखमहेन्द्र सिह की दिनांक 21.12.2018 को मुत्यु हो चुकी है इसके जायज वारिसान को रिकार्ड पर लिया जाना आवश्यक है लेकिन अपीलाण्ट का पुत्र रणजीत सिंह काफी समय से लापता है इस कारण प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि रणजीत सिंह के अधिकारों को भी सुरक्षित रखा जा सके। प्रार्थी ने कथन कियाकि उसे प्रकरण के बारे में जानकारी नहीं थी। जानकारी होते ही प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर दिया है। अतः देरी क्षमा की जावे। अतः अपीलाण्ट सुखमहेन्द्र सिह की मृत्यु हो जाने के कारण उसके विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिया जावे। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन कियाकि सुखमहेन्द्रसिंह की मृत्यु होने के तथ्य स्वीकार है परन्तु सुखमहेन्द्र सिंह के स्थान पर प्रार्थी जगजीत सिह व रणजीत सिंह कानूनन प्रतिस्थापित नहीं हो सकते। रणजीत सिह कई वर्षों से लापता है इस कारण अपीलाण्ट सुखमहेन्द्र सिह द्वारा रणजीत सिंह को परिकल्पित मृत्यु मानते हुए रेस्पोण्डेण्ट ... बतौर रणजीत सिंह के वारिसान पक्षकार बनाया गया है इसलिए अपीलाण्ट सुखमहेन्द्र सिह द्वारा किये गये कथनों के अनुसरण में रणजीत सिंह बतौर प्रतिस्थापित होने का अधिकारी नहीं है तथा अपीलाण्ट सुखमहेन्द्र सिह द्वारा रेस्पेडेण्ट संख्या 1, 2 व प्रार्थी जीतसिंह के विरूद्ध वादपत्र	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:51:59 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के समक्ष प्रस्तुत किया हुआ है जो जैरकार है तथा सुखमहेन्द्र सिंह द्वारा जगजीत सिह के विरूद्ध वादपत्र में अनुतोष चाहा गया था इस कारण भी सुखमहेन्द्रसिंह के स्थान पर उक्त वादपत्र मे संबंधित प्रार्थना–पत्र की अपील में जगजीत सिह प्रतिस्थापित नहीं हो सकता है। अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोडैण्ट संख्या 1 के पक्ष में प्रार्थी जगजीत सिह की सहमति से पंजीकृत दानपत्र निष्पादित किया गया है जिस कारण भी सुखमहेन्द्र के स्थान पर प्रार्थी को प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थना–पत्र के अनुसार अपीलांट सुखमहेन्द्र सिंह दिनांक 23.12.2018 को फौत हो चुका था। प्रार्थी ने सुखमहेन्द्र सिह के वारिसान को रिकार्ड पर लेने हेतु दिनांक 03.11.2020 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है, जो काफी विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना–पत्र विलम्ब से प्रस्तुत करने का कोई समुचित कारण नहीं बताया है। अतः अपीलाण्ट के फौत होने के कारण अपील स्वतः ही अबैट हो चुकी है। अपील अबैट होने के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली नंबर से कम कर दाखिल दफ्तर हो। 7/6/22

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karnar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:51:59 IST
Reason: SelfAttested